उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

खनन अपील (Mining Appeal) सं0 :–144 / 2023–24

राजेश कुमार साहु

बनाम

सरकार

29.06.24

1. अपीलार्थी राजेश कुमार साहु पिता–स्व0 बासुदेव साहु पता–सालेगुटु थाना–कामडारा जिला–गुमला के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी गुमला के पत्रांक–103 / एम0 दिनांक–31.01.2024 के द्वारा बालू खनिज का भण्डारण अनुज्ञप्ति सं0–J051710817 को Jharkhand Mineral (Prevention of illegal mining transportation and storage) Rule-2017 में निहित प्रावधन के तहत् बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिससे विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील किया गया है।
2. अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला खनन पदाधिकारी गुमला के द्वारा अपीलार्थी के खनन अनुज्ञप्ति संख्या–305170817 को झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम–2017 की धारा 8(3) के अंतर्गत रद्द किया गया है जो धारा 8(3) के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समुदान नियमवाली के तहत् वर्ष–2018 से दिनांक–31 / 08 / 2099 तक अनुज्ञप्ति संख्या–J051710817 भण्डारण परिवहन के लिए निर्गत किया गया था। अपीलार्थी बिना किसी अवरोध के वर्ष–2018 से वर्ष–2023 तक निर्विवाद रूप से संचालन किया। अपीलार्थी उपरोक्त खनिज भण्डारण के लिए जमीन का एकरारनामा आनंद ओहदार से किया एवं झारखण्ड प्रदुषण विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये।
3. जिला खनन कार्यालय, गुमला के पत्रांक–505 दिनांक–08 / 11 / 2023 को अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए दो दिन के अन्दर कारण स्पष्ट करने का निर्देश किया गया था, जिसमें अपीलार्थी के द्वारा दिनांक– 01 / 11 / 2023 को रात्रि 9:52 बजे दो बालू लदे हाईवा सं0– JH09AT8422 एवं हाईवा सं0–JH01BT8498 को ई0 चलान क्रमशः F1023018 93/12 एवं F1023018 93/11 निर्गत किया था। जबकि उपरोक्त वाहन को जिला खनन पदाधिकारी खूँटी द्वारा 9:10 बजे रात्रि को जप्त किया गया था। अपीलार्थी ने दिनांक 21 / 11 / 2023 को अपना लिखित जवाब जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय में जमा करा दिया गया था। अपीलार्थी ने अपना लिखित कारण पृच्छा ससमय जमा कराने के बाद बिना किसी कारण दर्शाये पुनः पत्रांक– 13 दिनांक 03 / 01 / 2024 द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया जो कि झारखण्ड खनिज समुदान नियमावली के प्रवाधान अंतर्गत नहीं है। अपीलार्थी ने पत्रांक–13 दिनांक–03 / 01 / 2024 का जवाब दिनांक 17 / 01 / 2024 को जिला खनन कार्यालय गुमला में जमा किया और साथ में उपलब्ध दस्तावेज भी जमा किए।
4. जिला खनन कार्यालय ने अपने पत्रांक–103 / एम0 दिनांक–31 / 01 / 2024 को अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति संख्या– J051710817 को बिना किसी कोई कारण

Scanned with OKEN Scanner

(3)

दर्शाये "दाखिल जवाब को संतोषजनक नही है कह कर शेष अवधि के लिए रद्द कर दिया गया जो कानूनन रूप से अवैध है, तथा झारखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन और भण्डारण की रोकथाम) नियम 2017 की धारा 8(9) के प्रवाधान का उल्लंघन किया गया है। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश पत्रांक– 103/एम0 दिनांक–31/01/2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति संख्या J051710817 को रद्द किया गया है, जो झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण की रोकथाम) नियम–2017 की धारा 8(3) के अनुरूप नही है। उपरोक्त नियमवाली की धारा 8(3) "The District Mining Officer/ Any Such Officer authorized by the competent authority may at any time suspended the registration for breach of any of the terms and conditions of the registration. The registration may be cancelled for breach of any terms and conditions of registration after giving an opportunity of being heard.

5. धारा 8(3) में उल्लेख किया गया है कि अगर कोई नियम एवं शर्तो का उलंघन करता है तो उसे अपने पक्ष रखने एवं उसको सुनकर आदेश पारित किया जाए, परंतु इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी ने अपने आदेश में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया और न ही अपीलार्थी को कभी सुना गया है। आदेश दिनांक 31/01/2024 त्रुटिपूर्ण है तथा अपीलार्थी को बिना सुने आदेश पारित किया जाना नियमवाली –2017 की धारा 8(3) के अनुरूप नहीं है। अपीलार्थी से न तो कारण पृच्छा में और न ही पारित आदेश में यह बताया गया है कि अपीलार्थी ने अनुज्ञप्ति के किन शर्तो का उलंघन किया है जबकि अपीलार्थी ने अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्णतः सही तरीके से किया है।

6. जिला खनन पदाधिकारी, गुमला द्वारा पारित आदेश दिनांक–31/01/2024 बिना तर्क के है। जिला खनन कार्यालय द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पकडे गए वाहन चालक के द्वारा ई0 चालान सं0 F102301893/11 एवं F102301893/12 प्रस्तुत किया गया है, जो कि गणेश कुमार साहु के द्वारा संचालित बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या–3051710817 से निर्गत है। अनुज्ञप्ति संख्या–305170817 राजेश कुमार साहु के नाम से है तथा समर्पित ई0 चालान किसी गणेश साहु द्वारा निर्गत किया गया है। अपीलार्थी का संबंध किसी भी प्रकार से गणेश कुमार साहु से नही है। वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत ई–चालान जो गणेश कुमार साहु द्वारा दिया गया है, पूर्णतः फर्जी है। अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया कि अवैध बालू परिवहन में संलिप्त हाईवा वाहन सं0– JH09AT8422 एव हाईवा वाहन सं0– JH01BT8498 के मालिक के द्वारा 9:50 PM में निर्गत ई0 चालान दिखाया गया। उपरोक्त वाहन जिला खनन पदाधिकारी, खुँटी द्वारा 9:10 PM में जप्त किया गया। अपीलार्थी का इससे कोई संबंध नहीं है। नियमानुसार ई0 चालान निर्गत किया गया है।

7. भण्डारण स्थल पर वाहन मालिक के द्वारा वाहन नम्बर बताया जाता है और उक्त नम्बर की पुष्टि कर ई0 चालान निर्गत किया जाता है अगर कोई गैर कानूनी कार्य अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो अपीलार्थी को उस कृत्य के लिए दोषी नही ठहराया जा सकता है। जिला खनन पदाधिकारी गुमला द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उक्त ई0 चालान किसी गणेश कुमार साहु द्वारा निर्गत किया गया है, जबकि अपीलार्थी का संबंध किसी भी गणेश कुमार साहु से नही है। अपीलार्थी विगत 8 वर्षों से अनुज्ञप्ति का संचालन कर रहे है और

Scanned with OKEN Scanner

आज तक उनके उपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नही लगा है और दूसरे के कृत्य के कारण अपीलार्थी को अनुज्ञप्ति रद्द करना न्याय संगत नही है।

अपीलार्थी के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी गुमला का आदेश पत्रांक–103 दिनांक–31/01/2024 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी की याचिका को स्वीकृत कर अनुज्ञप्ति संख्या–J05170817 को बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी का पक्ष

8. उत्तरवादी अर्थात जिला खनन पदाधिकारी, गुमला ने अपने पत्रांक –186/एम0 दिनांक 12.03.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी को निर्गत अनुज्ञप्ति में निहित शर्तों का उल्लंघन यथा अवैद्य बालू परिवहन में वैद्य ई–चालान का उपयोग करने के फलस्वरुप नियम 8(3) के तहत् दिनांक–03.11.2023 द्वारा उनके अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्गत कारण पृच्छा के बाबत संतोष जनक जबाब नहीं देने के कारण पुनः अवैद्य बालू परिवहन मे संलिप्त वाहनों को जिला खनन पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा 9.10 P.M में जप्त किया गया, जबकि जप्ती के पश्चात ई0 परिवहन चालान 9.50 PM एवं 9.52 PM अंकित पाया गया तथा गंतव्य स्थान टाटी सिलवे, रांची अन्तर्गत है, के बाबत वाहन का जी0 पी0 एस0 Traking print CCTV कैमरा का फुटेज आदि की मांग की गई थी, परन्तु भंडारणकर्त्ता साक्ष्य उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे, फलस्वरुप निलंबित भण्डारण अनुज्ञप्ति को शेष अवधि के लिये रद्द कर दिया गया जिसकी सूचना वादी को उपलब्ध करा दी गई है।

9. अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं जिला खनन पदाधिकारी गुमला द्वारा समर्पित दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने बचाव के पक्ष में मुख्यतः निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया गया हैः–

(1) अपीलार्थी कई वर्षो से बिना किसी अवरोध के खनिज का भण्डारण करते आए है। अपीलार्थी का वर्तमान वाद में यह कहना कि उन्होने कई वर्षो से भण्डारण अनुज्ञप्ति का संचालन किया है, प्रासंगिक नही है, क्योंकि वर्तमान अपील एक विशिष्ट प्रकरण से संबंधित है। किसी अभियुक्त की अथवा किसी वाद को यह मानकर निष्पादित कर देना कि वादी ने पूर्व में कोई अवैध कार्य नही किया तो न्यायसंगत नही है।

(2) जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बिना कारण दर्शाए अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। जिला खनन पदाधिकारी ने पत्रांक 505/एम0 दिनांक–03.11.2023 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों को (वाहन संख्या–JH09AT-8422 एवं JH01 BT-8498) दिनांक– 01.11.2023 को रात्रि 9:10 P.M में जिला खनन पदाधिकारी खूँटी द्वारा पकडा गया, उन वाहनों का चालान अपीलार्थी के द्वारा 9:50 P.M को निर्गत किया गया। यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा अवैध चालान निर्गत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिला खनन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल स्पष्टीकरण के पृष्ठ–2 के पारा तीन में स्वंय स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा Mining Challan निर्गत किया गया है। वाहन सं0–JH09AT-8422 एवं JH01 BT-8498 को 9:10 बजे ही पकड़ लिया गया था जो उपायुक्त खूँटी के पत्रांक–713/एम0 दिनांक–02.11.2023 से स्पष्ट है।

अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा बिना जाँच किए चालान निर्गत किया गया, जो अवैध परिवहन में सहायक सिद्व हुआ। अपीलार्थी द्वारा किया गया यह कृत्य एक आपराधिक कृत्य प्रतीत होता है। जिला खनन पदाधिकारी गुमला के पत्रांक–505/एम0 दिनांक–03.11.2023 द्वारा स्पष्टीकरण के पश्चात ही आदेश पारित किया गया है। Rules

Scanned with OKEN Scanner

(5)

2017 का नियम संख्या–8 (iii) यह स्पष्ट करता है कि Registration की नियम एवं शर्तो के उल्लंघन करने पर जिला खनन पदाधिकारी अनुज्ञप्ति के निलंबन हेतु सक्षम है। वर्त्तमान न्यायालय में यह समाधान हो गया है कि जिला खनन पदाधिकारी गुमला के द्वारा अंकित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storge) Rule-2017 के प्रावधान अन्तर्गत नियम संख्या–8 (iii) का प्रयोग नियम संगत है।

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए निर्देश दिया जाता है कि आपराधिक कृत्य हेतु अपीलार्थी पर सुसंगत धाराओं के तहत् कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.08.05 17:34:55 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner